जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2018(RCMS : 2018/00186) ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति नायक निवासी भादवावाला तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर बनाम जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**16.01.2019**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश स्वयं उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 31.12.2018 को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 के द्वारा चाही गई सूचना जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.04.1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि आज दिनांक 31.12.2018 को जिला कलक्टर अभिलेखागार से प्राप्त कर ली है इसलिए वह अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यदि इस प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 के द्वारा तत्कालीन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.04.1972 जोकि अनवानी प्रकरण पूर्णराम बनाम अधिशाषी अभियंता, दक्षिण खण्ड वगै. में चक 79 आरबी(ए) में खाल स्वीकृति बाबत पारित किया गया है, की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी। किन्तु उसका उक्त प्रार्थना पत्र सहवन से अपील के रूप में इस न्यायालय में दर्ज हो गया।

चूंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 के द्वारा तत्कालीन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के जिस आदेश दिनांक 25.04.1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी वह आदेश प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.12.2018 को जिला कलक्टर अभिलेखागार से नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त कर लिया है। इसलिए उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर



दिनांक 12.10.2018 को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

चूंकि अपीलार्थी जिला कलक्टर अभिलेखागार से आदेश दिनांक 25.04.1972 की प्रमाणित प्रति प्राप्त ली है और अब इस प्रकरण में अब वह आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए इस अपील को एवं उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 को इसी आधार पर दाखिल दफ्तर किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर